संख्या-2/2018/आडिट-2-394/दस-2018-355(5)/2018

प्रेषकए

संजीव मित्तल,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,

उ0 प्र0 इलाहाबाद।

वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2 लखनऊ : : दिनांकः 31 मई, 2018

विषय :- औद्योगिक विकास विभाग के अधीन कार्यरत सभी प्राधिकरणों एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन कार्यरत सभी विकास प्राधिकरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के पत्र संख्या-139/77-4-18-16एन /04, दिनांक 17 जनवरी, 2018 एवं अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 637/आठ-1-17-13 विविध/16, दिनांक 10.04.17 (दोनों पत्रों की छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्रमशः औद्योगिक विकास विभाग के अधीन कार्यरत सभी प्राधिकरणों एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन कार्यरत सभी विकास प्राधिकरणों की लेखा परीक्षा का दायित्व महालेखाकार उ0 प्र0 को सौंपे जाने के उपरान्त उक्त विभागों के अधीन कार्यरत समस्त प्राधिकरणों/विकास प्राधिकरणों की लेखा परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से सम्पादित कराए जाने का औचित्य समाप्त हो चुका है। अतः उक्त के दृष्टिगत इन प्राधिकरणों/विकास प्राधिकरणों की समवर्ती लेखा परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा सम्पादित नहीं की जाएगी।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संस्थाओं में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों, की तैनाती तत्काल अन्यत्र किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-आडिट-2-394(1)/दस-2018, तददिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-4 को उनके पत्र दिनांक 23.02.18 के क्रम में।

2- अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0 प्र0 शासन को उनके पत्र दिनांक 10.04.17 के क्रम में।

3- प्रधान महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

4- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा) , उ0 प्र0 लखनऊ।

5- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण /विकास प्राधिकरण उ0 प्र0।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।